बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक– पि0व0/4/वि०यो०–22–10/2023– 106 पटना, दिनांक– 05/10/2026

प्रेषक,

ऋषि कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– राज्य स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 में पटना जिलान्तर्गत निर्मित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास भवन में अवस्थित जननायक पुस्तकालय एवं राज्य डिजिटल अध्ययन केन्द्र में एक अतिरिक्त ऑनलाईन क्लास के संचालन एवं आवासीय विद्यालयों में ऑनलाईन क्लास के प्रसारण हेतु उपस्करों के क्रय हेतु कुल राशि रू० 14,11,000/– (रू0 चौदह लाख ग्यारह हजार) मात्र की स्वीकृति।

आदेशः स्वीकृत।

2–राज्य स्कीम के तहत पटना जिलान्तर्गत निर्मित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास भवन में ''जननायक पुस्तकालय एवं राज्य डिजिटल अध्ययन केन्द्र'' का संचालन, दिशा–निर्देश आदि हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–118 दिनांक–01.11.2023 के द्वारा कुल राशि रू० 29,55,100/– (रू0 उनतीस लाख पचपन हजार एक सौ) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3–विभागान्तर्गत संचालित सभी आवासीय विद्यालयों में आवासित पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को कक्षा–6 से कक्षा–12 तक के पाठ्यक्रम से संबंधित गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास भवन में अवस्थित ''जननायक पुस्तकालय एवं राज्य डिजिटल अध्ययन केन्द्र'' में एक अतिरिक्त ऑनलाईन क्लास के संचालन एवं उसका प्रसारण विभागान्तर्गत संचालित सभी आवासीय विद्यालयों में करने हेतु आवश्यक उपस्करों के क्रय हेतु कुल राशि रू० 14,11,000/– (रू0 चौदह लाख ग्यारह हजार) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4–उक्त स्वीकृत राशि में से जननायक पुस्तकालय एवं राज्य डिजिटल अध्ययन केन्द्र में संलग्न सूची के अनुसार उपस्करों के क्रय हेतु राशि रू0 4,75,000/– मात्र तथा विभागान्तर्गत सभी 39 आवासीय विद्यालयों में स्पीकर एवं माईक के क्रय हेतु प्रति विद्यालय रू0 24,000/– मात्र की दर से उपलब्ध कराया जायेगा।

(परिशिष्ट–1)

5–योजना के संबंध में दिशा–निर्देशः–

(i) विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–118 दिनांक–01.11.2023 के आलोक में विभागीय पत्रांक–2445 दिनांक–10.11.2023 के द्वारा जननायक पुस्तकालय एवं राज्य डिजिटल अध्ययन केन्द्र के संचालन हेतु दिशा–निर्देश निर्गत है।

(ii) पटना जिलान्तर्गत जननायक पुस्तकालय एवं राज्य डिजिटल अध्ययन केन्द्र के संचालन हेतु निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–118 दिनांक–01.11.2023 की कंडिका–04(ड़)(क) के आलोक में शिक्षण कार्य हेतु शिक्षकों का मानदेय निर्धारित है। उक्त प्रस्तावित अतिरिक्त क्लास के संचालन हेतु योग्य एवं विशेषज्ञ शिक्षकों की सेवा ली जा सकेगी। स्थानीय शिक्षक की अनुपलब्धता की स्थिति में उक्त निर्धारित दर पर ही ऑनलाईन शिक्षक की सेवा ली जा सकेगी।

(iii) उक्त केन्द्र में अतिरिक्त ऑनलाईन कक्षाओं का संचालन ऑनलाईन माध्यम से किया जायेगा, जिसका विभागान्तर्गत संचालित सभी अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालयों में Live Streaming किया जायेगा।

(iv) बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना के द्वारा जननायक पुस्तकालय एवं राज्य डिजिटल अध्ययन केन्द्र तथा सभी आवासीय विद्यालयों में उपस्करों का अधिष्ठापन कार्य कराया जायेगा।

(v) विभाग द्वारा संचालित सभी अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालयों में अधिष्ठापित जननायक डिजिटल अध्ययन केन्द्र को ई–लाईब्रेरी से कनेक्ट किया जायेगा तथा रिकॉर्डिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी जिसे छात्राओं की आवश्यकता के अनुसार अग्रेत्तर उपयोग में लाया जा सकेगा।

(vi) अतिरिक्त ऑनलाईन क्लास का संचालन कक्षा–06 से 12 के सभी पाठ्यक्रमों का संचालन किया जायेगा। विशेष रूप से संबंधित विद्यालय में संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षकों की कमी को देखते हुए निदेशक, जननायक पुस्तकालय एवं राज्य डिजिटल अध्ययन केन्द्र, पटना के द्वारा सभी आवासीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक से संपर्क स्थापित कर आवश्यकता के अनुसार ऑनलाईन कक्षा के संचालन की व्यवस्था की जायेगी।

6–प्रस्तावित व्यय वित्तीय वर्ष 2026–27 में माँग संख्या–11 के अन्तर्गत राज्य स्कीम के तहत मुख्यशीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03– पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277–शिक्षा–उप शीर्ष 0101–शिक्षा –विषय शीर्ष –1301–कार्यालय व्यय विपत्र कोड संख्या–11–2225032770101 के अन्तर्गत उपबंधित राशि के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

7–स्वीकृत राशि की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा की जायेगी। उक्त राशि की निकासी किये जाने के उपरांत वही अंतरण (Book Transfer) के माध्यम से बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना के पी०एल० खाता संख्या–PTSPLA007 में Ledger ID-17221, Ledger Name- Operation and Maintenance of School & Hostels में उपलब्ध करायेंगे।

8–उक्त राशि का विचलन नहीं किया जायेगा।

8–राशि की निकासी एवं व्यय, वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के तहत दिये गये निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

9– प्रस्ताव पर दिनांक–22.09.2026 को आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में अनुशंसा प्राप्त है।

10–स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

11–प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

05/10/2026

(ऋषि कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/4/वि0यो0–22–04/2022– 106. पटना, दिनांक– 05/10/2026

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

05/10/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/4/वि0यो0–22–04/2022– 106 पटना, दिनांक– 05/10/2026

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

05/10/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/4/वि0यो0–22–04/2022– 106 पटना, दिनांक– 05/10/2026

प्रतिलिपि–सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, पटना प्रमंडल, पटना/सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, बिहार/ निदेशक, जननायक पुस्तकालय एवं राज्य डिजिटल अध्ययन केन्द्र, पटना/छात्रावास प्रबंधक, जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, पटना/सभी प्रभारी प्रधानाध्यापक, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, बिहार/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

05/10/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–पि0व0 / 4 / वि0यो0–22–04 / 2022– 106 पटना, दिनांक– 05/10/2026
प्रतिलिपि–प्रबंध निदेशक / महाप्रबंधक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

05/10/2026
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0 / 4 / वि0यो0–22–04 / 2022– 106 पटना, दिनांक– 05/10/2026
प्रतिलिपि–उप सचिव, बजट शाखा / अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

05/10/2026
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0 / 4 / वि0यो0–22–04 / 2022– 106 पटना, दिनांक– 05/10/2026
प्रतिलिपि–माननीया मंत्री के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

05/10/2026
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–पि0व0 / 4 / वि0यो0–22–04 / 2022– 106 पटना, दिनांक– 05/10/2026
प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

05/10/2026
सरकार के संयुक्त सचिव।